

हरियाणा में अनुसूचति जातकोटे के द्विभाजन की सफारशि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **हरियाणा राज्य अनुसूचति जातआयोग** ने सफारशि की है कि सरकारी नौकरियों में **अनुसूचति जातियों** के लिये आरक्षति 20% कोटे का आधा हसिसा वंचति अनुसूचति जातियों के उम्मीदवारों के लिये नरिधारति कया जाएगा।

- इसमें बाल्मीकि, धानक, खटकि और मज़हबी सखि जैसी **36 जातियाँ** शामिल हैं।

प्रमुख बदि

- आयोग ने **अनुसूचति जातियों (SC)** के पछिड़ेपन के कारण **सार्वजनिक रोज़गार में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता** का पता लगाने के लिये डेटा वशिलेषण कया।
- मंत्रपरिषदि को भेजी गई आयोग की रिपोर्ट में सफारशि की गई कि **यदि वंचति अनुसूचति जातियों से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों**, तो रिक्ति पदों को भरने के लिये चमार, जाटव, मोची, रैगर, रामदासया और स्वदासया सहति अन्य अनुसूचति जातियों के उम्मीदवारों पर वचिार कया जा सकता है।
 - इसमें अनुसूचति जातियों के 20% कोटे में से आधे को अन्य अनुसूचति जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षति करने का भी सुझाव दया गया है।
 - यदि इन समूहों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो वंचति अनुसूचति जातियों के उम्मीदवारों पर वचिार कया जा सकता है।
 - रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दया गया है कि विरषिठता का क्रम मौजूदा प्रणाली के भीतर अलग-अलग अंकों की आवश्यकता के बनिा एक सामान्य योग्यता सूची पर आधारति होगा।
- **सर्वोच्च नयायालय** के अनुसार, राज्य कुछ जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसे कारकों के आधार पर **अनुसूचति जातियों को उप-वर्गीकृत** कर सकता है।
 - हालाँकि इसमें यह प्रावधान कया गया कि राज्य को यह प्रदर्शति करना होगा कि किसी जात या समूह का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उसके पछिड़ेपन के कारण है तथा राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर आँकड़े एकत्र करने होंगे, क्योंकि इसका उपयोग पछिड़ेपन के सूचक के रूप में कया जाता है।